दैनिक भास्कर बिलासपुर भास्कर 14-06-2025

हाई कोर्ट • चहेते शिक्षकों को बचाने का आरोप, हाई कोर्ट ने सभी से कहा- जिला स्तरीय समिति में दें अर्जी, समिति को पक्ष सुनकर 3 दिनों में निर्णय लेने के निर्देश

युक्तियुक्तकरण के खिलाफ 400 से अधिक याचिकाएं , कहा- पक्ष नहीं सुना, स्कूल छिपाए

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

प्रदेश में छात्र- शिक्षक के अनुपात को दुरुस्त करने राज्य सरकार ने युक्तियुक्तकरण और स्कूलों को मर्ज करने का कठोर निर्णय लिया। अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना ऐसे स्कूलों में की गई, जहां शिक्षकों की कमी थी। इस निर्णय से जाहिर है कि प्रदेश में स्कूली शिक्षा की स्थिति बेहतर होगी, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग में सुनवाई नहीं होने पर 400 से अधिक शिक्षकों ने हाई कोर्ट में याचिकाएं लगाई हैं। हाई कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को जिला स्तरीय समिति में अर्जी देने को कहा है। समिति को शिक्षकों का पक्ष सुनकर निर्णय लेना होगा।

सितंबर 2024 में दैनिक भास्कर ने बिलासपुर और राजनांदगांव में स्कूलों में शिक्षकों की कमी से छात्रों को हो रही परेशानियों को लेकर खबरें प्रकाशित की थी। हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और स्कूल शिक्षा सचिव से हलफनामा मांगा था। तब स्कूल शिक्षा सचिव ने 11 सितंबर 2024 में अपने हलफनामा में बताया था कि राज्य में 48548 सरकारी स्कूल हैं। इनमें से 5484 स्कूलों में सिर्फ 1 शिक्षक है। जबकि 297 स्कूलों में कोई शिक्षक ही नहीं है। शिक्षकों की कमी स्वीकार करने पर हाई कोर्ट ने पूछा था कि राज्य सरकार इसे लेकर क्या कर रही है? इसके बाद युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। आसपास के स्कूल मर्ज किए गए।

काउंसिलिंग में छिपा दिए कई स्कूलों के नाम

कोरबा जिले की एक शिक्षिका ने अपनी याचिका में बताया कि सरकार के नियम के अनुसार काउंसिलिंग के समय सभी स्कूलों की जानकारी अनिवार्य रूप से जारी की जानी थी, लेकिन बेलाकछार, रिस्दा, गरगा, भद्रापारा और कुदरीपारा के कुछ स्कूलों का विवरण जारी नहीं किया गया। इस संबंध में दिए गए आवेदन का भी निराकरण नहीं किया गया।

स्कूलों को मर्ज करने, अतिशेष बताने में भारी गड़बड़ी

अतिशेष शिक्षकों को ऐसे स्कूलों में भेजने कवायद शुरू की गई, जहां शिक्षकों की कमी थी। जिला स्तर पर प्रक्रिया हुई, इसके बाद सूची जारी की गई। अनदेखी हुई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने यहां खेल किया। रसूखदारों, चहेतों शिक्षकों को बचाने के लिए सीनियारिटी की अनदेखी की गई। स्कूलों के नाम छिपाकर सूची जारी की गई।

जूनियर को बचाने सीनियर को बताया अतिशेष

एक शिक्षक ने याचिका में बताया कि सीनियर होने के बाद भी जूनियर को बचाने उन्हें अतिशेष बता दिया गया। एक अन्य मामले में वर्ष 2018 से सेवारत शिक्षक की पोस्टिंग 45 किमी दूर के स्कूल में कर दी गई है। अंग्रेजी व भूगोल पढ़ाने वाले शिक्षक को अतिशेष बताते हुए यही विषय पढ़ाने नई शिक्षिका नियुक्त कर दी गई।

अब समिति को शिक्षकों का पक्ष सुनकर लेना होगा निर्णय

हाई कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को जिला स्तरीय समिति में अभ्यावेदन देने के निर्देश देते हुए याचिका निराकृत कर दी है। समिति को तीन दिनों में संबंधित शिक्षकों का पक्ष सुनने के बाद अभ्यावेदन का निराकरण करने को कहा गया है। बता दें कि कलेक्टर जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष हैं। नगर निगम आयुक्त, जिला पंचायत के सीईओ और जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी सदस्य हैं। संबंधित जिला शिक्षाधिकारी को सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।